

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 86/2025
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2025/126

- 1- उम्मेद सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत निवासी लूलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- मु. न्याल कंवर पत्नी नारायण सिंह राजपूत निवासी लूलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3-7 भवंर कंवर, मुन्ना कंवर, राजेन्द्र सिंह, श्यामा कंवर, संजु कंवर पिता नारायण सिंह राजपूत
-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- कानसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत निवासी लूलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- नरेश पुत्र हरकचंद गुर्जर निवासी तहनाल गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3-5 कान्हा, तेजु, दूदा पुत्र माना बैरवा निवासी लूलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- राजेश पुत्र सोहन लाल लढा निवासी लूलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- भैरू पुत्र लालू बैरवा निवासी रामपुरा लूलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- लादुसिंह पुत्र शक्तिसिंह राजपूत निवासी लूलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- कल्याणसिंह पुत्र शक्तिसिंह राजपूत निवासी लूलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- विजयसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत निवासी लूलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजु : 01-07-2025


उपस्थित :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

::- निर्णय -::

दिनांक : 20-08-2025

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम लूलांस प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 29 रकबा 0.73 है0, 30 रकबा 0.22 है0, 32 रकबा 0.02 है0, 33 रकबा 0.27 है0, 34 रकबा 0.02 है0, 35 रकबा 0.30 है0, 36 रकबा 0.19 है0, 37 रकबा 0.01 है0, 38 रकबा 0.07 है0, 39 रकबा 0.05 है0, 40 रकबा 0.22 है0, 41 रकबा 1.22 है0, 42 रकबा 0.60 है0, 43 रकबा 0.21 है0, 44 रकबा 0.28 है0, 45 रकबा 0.37 है0, 46 रकबा 0.21 है0, 47 रकबा 0.01 है0, 48 रकबा 0.06 है0 कुल किता 22 रकबा 6.17 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार की स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण दिनांक 10.12.2024 को अपनी आराजियात पर गये तो विपक्षीगण द्वारा स इस प्रकार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः ग्राम लूलांस प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता 22 रकबा 6.17 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु न्यायहित में आदेश फरमावे।


उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1, 3, 4, 5, 7 से 10 बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं. 2, 6 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी।

आज दिनांक 20-08-2025 को अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 ग्राम लूलांस प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 29 रकबा 0.73 है0, 30 रकबा 0.22 है0, 32 रकबा 0.02 है0, 33 रकबा 0.27 है0, 34 रकबा 0.02 है0, 35 रकबा 0.30 है0, 36 रकबा 0.19 है0, 37 रकबा 0.01 है0, 38 रकबा 0.07 है0, 39 रकबा 0.05 है0, 40 रकबा 0.22 है0, 41 रकबा 1.22 है0, 42 रकबा 0.60 है0, 43 रकबा 0.21 है0, 44 रकबा 0.28 है0, 45 रकबा 0.37 है0, 46 रकबा 0.21 है0, 47 रकबा 0.01 है0, 48 रकबा 0.06 है0 कुल किता 22 रकबा 6.17 है0 के अभिलिखित संयुक्त खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझती हूँ।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 भलिभाति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार आराजी ग्राम लूलांस प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 29 रकबा 0.73 है0, 30 रकबा 0.22 है0, 32 रकबा 0.02 है0, 33 रकबा 0.27 है0, 34 रकबा 0.02 है0, 35 रकबा 0.30 है0, 36 रकबा 0.19 है0, 37 रकबा 0.01 है0, 38 रकबा 0.07 है0, 39 रकबा 0.05 है0, 40 रकबा 0.22 है0, 41 रकबा 1.22 है0, 42 रकबा 0.60 है0, 43 रकबा 0.21 है0, 44 रकबा 0.28 है0, 45 रकबा 0.37 है0, 46 रकबा 0.21 है0, 47 रकबा 0.01 है0, 48 रकबा 0.06 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए सीमांकन करे तथा प्रार्थीगण की आराजी का प्रार्थीगण के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए/वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 20-08-2025 को सरे इजलास सुनाया गया



(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा